एस.एस. सरोन न्यायमूर्ति, के समक्ष

कैलाश देवी, -

बनाम

जय किशन और अन्य-प्रतिवादी

एफ.ए.ओ. नं. 1991 का 15/एम

5 फरवरी 2003

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13(1)(i) और 23(1)-हिंदू विवाह (पंजाब) नियम, 1956-आर1.6-पत्नी के खिलाफ व्यभिचार का आरोप-ट्रायल कोर्ट द्वारा पति को तलाक की डिक्री देना-चुनौती तत्संबंधी-1956 के नियमों के आर1.6 में पत्नी-पति द्वारा किए गए कथित व्यभिचार के कृत्यों का यथासंभव विवरण देने की आवश्यकता है, याचिका में उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने में विफल रहा है जिन्होंने अपने बयान में गवाही दी थी। पक्ष - विशिष्ट दलीलों के अभाव में, गवाहों के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए - पति प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कथित रूप से लिखे गए पत्र को साबित करने के बोझ को पूरी तरह से निर्वहन करने में विफल रहा है - केवल दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने से दस्तावेज़ स्वीकार्य नहीं होंगे साक्ष्य- व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए केवल संभावनाओं की प्रबलता की तुलना में थोड़े ऊंचे मानक के सबूत की आवश्यकता होती है-पर्याप्त, ठोस, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करके यह साबित करने में विफल रहने पर कि उसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए थे, यह नहीं हो सकता है कहा कि पति के साथ पत्नी ने कोई क्रूरता की है, पति तलाक की डिक्री का हकदार नहीं है-वैवाहिक न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को खारिज करते हुए पत्नी की अपील स्वीकार कर ली गई।

माना गया कि व्यभिचार का आरोप लगाना उस मामले की तुलना में अधिक गंभीर मामला है जहां क्रूरता के आधार पर वैवाहिक राहत मांगी गई है। इसलिए, वैवाहिक कारण में व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए सबूत का मानक निश्चित रूप से ऊंचा होगा और सबूत के सख्त उपाय की आवश्यकता होती है, हालांकि यह उचित संदेह की छाया से परे नहीं हो सकता है जैसा कि एक आपराधिक मामले में आवश्यक है लेकिन साथ ही समय यह केवल संभावनाओं की प्रबलता पर भी नहीं है। व्यभिचार के आधार पर तलाक का दावा करने की कार्यवाही अर्ध आपराधिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। (पैरा 16)

इसके अलावा, यह माना गया कि वैवाहिक कारण में व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए संभावनाओं की प्रबलता की तुलना में सबूत के थोड़े ऊंचे मानक की आवश्यकता होती है। इसलिए, मामले के इस दृष्टिकोण में प्रतिवादी नंबर 1-पति, साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखे गए पत्र को साबित करने के दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करने में विफल रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 के पति द्वारा यह किसी भी तरह से नहीं दिखाया गया है कि वह प्रतिवादी नंबर 2 राम करण की लिखावट की पहचान करने की स्थिति में कैसे था, इसलिए, केवल दस्तावेज़ को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने से दस्तावेज़ साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हो जाएंगे। मात्र तथ्य यह है कि प्रतिवादी-पति ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखे गए कथित पत्र को बताया और प्रदर्शित किया है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा दिए गए सबूत के औपचारिक तरीके से दूर नहीं है। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखा गया पत्र उसमें बताए गए तथ्यों का कोई सबूत नहीं है और स्थापित कानून के अनुसार उक्त पत्र का एकमात्र वैध उपयोग उसे बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। गवाह यदि वह गवाह बॉक्स में उपस्थित हुआ था और उसने जो लिखा था वह उसके साक्ष्य के साथ असंगत हो सकता है जो उसने गवाही दी है। अतः उक्त पत्र विचाराधीन होने योग्य है।

(पैरा 20)

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी-पति की ओर से अपनी याचिका में उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने में विफलता, जो याचिका दायर करने के समय उसे जानते थे, यह दर्शाता है कि इन गवाहों को संभवतः गवाही देने के लिए कहा गया है। बाद के चरण में तलाक से राहत पाने के लिए। दलीलों का यह सुस्थापित नियम है कि पक्षकार द्वारा अपने मामले के समर्थन में सभी आवश्यक और भौतिक तथ्य प्रस्तुत किये जाने चाहिए। दलीलों के अभाव में, पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, निष्पक्ष सुनवाई के लिए पक्षों को ऐसी सामग्री लानी चाहिए ताकि दूसरा पक्ष आश्चर्यचकित न हो। इसलिए, विशिष्ट दलीलों के अभाव में, पीडब्ल्यू मीर सिंह और श्रीमती के साक्ष्य। रिसालो जो प्रतिवादी-पति की जानकारी में थे, यहां तक कि

(पैरा 22)

अदालत में अपने स्वयं के बयान के अनुसार, गवाही पर भरोसा करना मुश्किल है। आगे कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य दलीलों के विपरीत है और काफी अप्राकृतिक है। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी-पति अपने मामले को पर्याप्त, ठोस और विश्वसनीय सबूतों से साबित करने में विफल रहा है कि उसकी पत्नी ने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए थे। इसलिए, वैवाहिक अपराध के संबंध में उचित संदेह से परे कोई संतुष्टि नहीं दी जा सकती है। बनाया गया है.

(पैरा24)

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी-पति द्वारा इस आधार पर तलाक देने का मामला कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए थे, यह साबित नहीं हुआ है कि प्रतिवादी-पति पर किसी तरह का आरोप लगाया गया है। क्रूरता की डिग्री जो उसके लिए शारीरिक और मानसिक किसी भी खतरे के समान होगी।

(पैरा26)

एस.के. जैन, अधिवक्ताअपीलकर्ता की ओर से ।
रमेश हुडा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से ।

निर्णय

एच.एच. सरोन, न्यायमूर्ति

(1) यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 28 के तहत अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित 20 अगस्त, 1990 के फैसले और डिक्री के खिलाफ एक अपील है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक देने के लिए प्रतिवादी पति जय किशन की याचिका को अनुमति दे दी गई है।

(2) मामले से जुड़े तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता के प्रतिवादी संख्या 1 के पति जय किशन ने इस आधार पर तलाक की डिक्री देने के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या .2 के साथ

व्यभिचार में रह रही है। और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार भी किया है. दोनों पक्षों के बीच विवाह अप्रैल, 1970 में दिल्ली में संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों पक्ष गाँव गवालिसन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक में एक साथ रहते थे। इस विवाह से अक्टूबर, 1978 में एक बेटी का जन्म हुआ। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता एक दुष्ट चरित्र महिला है जो प्रतिवादी संख्या 2 के साथ व्यभिचार में रह रहा है और उसके साथ क्रूरता के कई कृत्य किए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में क्रूरता का विवरण दिया है. प्रतिवादी --- पति द्वारा कहा गया है कि वह सेना में कार्यरत था और विभिन्न स्टेशनों पर तैनात था, जबकि उसकी पत्नी अपने वृद्ध माता-पिता के साथ रह रही थी। यह महज संयोग था कि जुलाई, 1987 में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा संबोधित एक पत्र के माध्यम से उनकी पत्नी के प्रतिवादी नंबर 2 के साथ अवैध संबंध के बारे में पता चला। अपनी पत्नी को. ऐसा कहा जाता है कि पोस्टमैन द्वारा प्रतिवादी-पति के पिता को सौंपे गए पत्र से पता चलता है कि अपीलकर्ता-पत्नी गांव के निवासी प्रतिवादी नंबर 2 के साथ अवैध संबंध बना रही थी और स्वैच्छिक यौन संबंध बना रही थी। बताया जाता है कि जब प्रतिवादी-पति को इस बारे में पता चला तो वह बेहद हैरान रह गया और उसने इस मामले की गहराई से जांच की। गांव की एक महिला और एक अन्य निवासी ने पुष्टि की कि अपीलकर्ता-पत्नी 1987, 1988 और 1989 के दौरान अजीब घंटों में गुप्त रूप से गांव में प्रतिवादी नंबर 2 के घर जाती थी, जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे घर से बाहर आते देखा था। प्रतिवादी संख्या 2। प्रतिवादी-पति उसके आचरण से निराश हो गया और उसने उसके साथ रहना बंद कर दिया। उसने अपनी पत्नी को सलाह दी कि उसे यह व्यभिचारी आचरण छोड़कर एक पवित्र और वफादार पत्नी की तरह व्यवहार करना चाहिए। हालाँकि, उसने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया और दूसरों की उपस्थिति में भी उसका अपमान किया। परिणामस्वरूप प्रतिवादी-पति ने अपना विश्वास खो दिया और उसके मन में यह आशंका हो गई कि अपीलकर्ता पत्नी के क्रूर और व्यभिचारी कृत्यों के कारण उसके साथ रहना उसके लिए हानिकारक और खतरनाक था। जब प्रतिवादी-पति ने 1989 में फिर से अपनी पत्नी से उसके अनैतिक और क्रूर आचरण के बारे में बात की, तो उसने याचिका दायर करने से लगभग तीन सप्ताह पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया। वह प्रतिवादी पति की अनुपस्थिति में रुपये लेकर चली गई। मामले में 10,000 रुपये और प्रतिवादी-पति के दो तोले सोने के आभूषण। हालाँकि, प्रतिवादी-पति ने पारिवारिक सम्मान की खातिर इस घोटाले को

ज्यादा प्रचारित नहीं किया। अपनी पत्नी के प्रेमी (प्रतिवादी नंबर 2) से उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी-पति ने किसी भी तरह से अपनी पत्नी के स्वैच्छिक विवाहेतर संभोग के कृत्यों की निंदा नहीं की थी। इन आधारों पर प्रतिवादी-पति ने तलाक की डिक्री देने की प्रार्थना की।

(3) अपीलकर्ता पत्नी ने याचिका का विरोध किया और उसे लिखित बयान दायर किया । उसने कहा कि प्रतिवादी-पति किसी भी राहत का हकदार नहीं है क्योंकि वह स्वयं दोषी था और सही मंशा से नहीं आया था ,याचिका केवल उसे परेशान करने के लिए गलत इरादे से दायर की गई थी। याचिका झूठी, तुच्छ थी और प्रतिवादी-पति द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 की मिलीभगत से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। विवाह और विवाह से बच्चे के जन्म के तथ्य के संबंध में अन्य भौतिक पहलू और वे 1970 से 1987 तक एक साथ रह रहे थे, तथ्य स्वीकार किये गये, हालाँकि, अपीलकर्ता ने इस बात से इनकार किया था कि वह व्यभिचार में जी रही थी। वह कहती है कि वास्तव में प्रतिवादी नंबर 2 को वह नहीं जानती थी और यह प्रतिवादी-पति द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के साथ मनगढ़ंत कहानी थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिवादी-पति उससे छुटकारा पाना चाहता था और फिर से चाहता था कि किसी अन्य महिला से शादी करें क्योंकि अपीलकर्ता ने एक लड़की को जन्म दिया और बाद में दोनों पक्षों के बीच विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा यह कहा गया है कि वह अपने पति के प्रति एक वफादार महिला है और उसने अपने पति के प्रति एक पत्नी के सभी कर्तव्यों का पालन किया है। आरोप है कि प्रतिवादी पति और उसके माता-पिता और बहन ने पिछले चार वर्षों से उसे बेटा न होने के कारण ताना देना शुरू कर दिया था और वे हमेशा उसे प्रतिवादी-पति की दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने पिछले चार वर्षों से अपीलकर्ता-पत्नी को पीटना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी मर्जी से प्रतिवादी-पति का घर छोड़ दे या आत्महत्या कर ले। उन्होंने दहेज में मोटर साइकिल, टीवी और नकदी की भी मांग की। अपीलकर्ता-पत्नी के साथ पंचायत प्रतिवादी-पति और उसके परिवार के सदस्यों को अपीलकर्ता को परेशान न करने के लिए मनाने के लिए ग्वालिसन गांव गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यह 17 मई, 1989 को आधी रात को है कि अपीलकर्ता को उसके ससुर, सास और प्रतिवादी-पति की बहन ने प्रतिवादी-पति की सहमति से गंभीर रूप से पीटा था और उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। कोई अन्य

विकल्प न होने पर वह अपने माता-पिता के घर आ गई। इसके बाद, प्रतिवादी-पति अपनी सेना की वर्दी में और नशे में धुत होकर सुल्तानपुरी में अपीलकर्ता के घर आया और उसके साथ तीन व्यक्ति थे और सभी ने प्रतिवादी और उसके पिता को धमकी दी कि या तो मांगी गई वस्तुएं या नकदी प्रदान करें या तलाक ले लें। अपीलकर्ता को प्रतिवादी पति के परिवार के सदस्यों और प्रतिवादी-पति द्वारा गंभीर रूप से पीटा गया था ताकि वह उसका घर छोड़ दे। यह प्रतिवादी-पति का कृत्य है कथित तौर पर अपीलकर्ता-पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया

(4) प्रतिवादी-पति ने याचिका पर अपनी प्रतिकृति दाखिल की, जिसमें लिखित बयान में दिए गए कथनों को अस्वीकार कर दिया गया और उनकी याचिका में चुने गए कथनों को दोहराया गया। प्रार्थना की गई कि तलाक मंजूर किया जाए। इन दलीलों पर 23 अप्रैल, 1990 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए-

(1) क्या याचिकाकर्ता व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार है? ओपीपी.

(2) राहत.

(5) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी-पति के पक्ष में तलाक के लिए एक डिक्री पारित की, जैसा कि पहले ही देखा गया है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने उस पर हमला किया है जिसने वर्तमान अपील दायर की है।

(6) श्री एस.के. जैन,एडवोकेट अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, ने तर्क दिया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इस आधार पर तलाक देने के लिए सबूतों की प्रबलता को गलत तरीके से ध्यान में रखा गया है कि अपीलकर्ता ने उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए हैं। पति यह तर्क दिया गया है कि व्यभिचार के मामले में केवल साक्ष्य की प्रबलता के आधार पर दायित्व तय नहीं किया जा सकता है और इसे उचित संदेह से परे सख्ती से साबित किया जाना चाहिए।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादी-पति की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रमेश हुडा ने तर्क दिया है कि मामला पूरी तरह से साबित हुआ है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता को लिखा गया एक पत्र है और प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है

कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के घर जा रहा है। इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(8) मैंने पार्टियों द्वारा आग्रह किए गए संबंधित अनुरोधों पर विचार किया है।

(9) जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि इस आधार पर वैवाहिक राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक क्या है कि विवाह के बाद पार्टियों में से एक ने अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए हैं दूसरे शब्दों में, इस आधार पर वैवाहिक राहत देने के लिए आवश्यक सबूत का मानक क्या है कि अपीलकर्ता पत्नी व्यभिचार में रह रही है।

(10) अर्निस्ट जॉन व्हाइट बनाम श्रीमती कैथलीन ओलिवा व्हाइट और अन्य [(1)] के मामले में, जो भारतीय तलाक अधिनियम के तहत एक मामला था, पति ने अपनी पत्नी और उसके बीच व्यभिचार के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर किया। दो अन्य सह-उत्तरदाता। इसे पटना उच्च न्यायालय ने अर्निस्ट जॉन व्हाइट बनाम कैथलीन ओलिवा व्हाइट और अन्य[(2)] में खारिज कर दिया था। उक्त मामले में पति ने अपनी पत्नी और अन्य दो सह-प्रतिवादियों के बीच व्यभिचार के विभिन्न कृत्यों का आरोप लगाया। प्रतिवादियों में से एक के साथ पत्नी के व्यभिचार का आरोप पति के विरुद्ध पाया गया जिसे चुनौती नहीं दी गई। पत्नी और अन्य प्रतिवादी के बीच व्यभिचार के आरोप भी साबित नहीं हुए। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में पति ने अपने मामले को सेंट्रल होटल, पटना में किए गए कथित व्यभिचार के कृत्यों तक सीमित रखा, जहां पत्नी और प्रतिवादी नंबर 2 पर फर्जी नामों के तहत तीन दिनों तक रहने का आरोप लगाया गया था। पत्नी ने दलील दी कि वह केवल अपना दांत निकलवाने के उद्देश्य से ही पटना आयी थी और उसी दिन समस्तीपुर लौट गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों का उल्लेख किया जो प्रदान करता है:-

"धारा 14 यदि न्यायालय साक्ष्यों से संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला

---

(1) ए आई आर 1958 एस.सी. 441

(2) ए आई आर 1954 पटना 560

साबित हो गया है..." (जोर दिया गया)

(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:-

"विचार की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं "साक्ष्यों पर संतुष्ट"। इन शब्दों का अर्थ है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि वह संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता के लिए मामला साबित हो गया है तो वह डिक्री सुनाएगा, लेकिन यदि संतुष्ट नहीं है तो याचिका को खारिज कर देगा। धारा 4 अंग्रेजी अधिनियम, वैवाहिक कारण अधिनियम 1937 में भी यही शब्द आते हैं और यह माना गया है कि साक्ष्य केवल संभावनाओं के संतुलन से परे स्पष्ट और संतोषजनक होना चाहिए और इस अर्थ में निर्णायक होना चाहिए कि यह सर विलियम स्कॉट द्वारा वर्णित को संतुष्ट करेगा। लवडेन बनाम लवडेन (1810) 161 ई.आर. 648 (डी) में "उचित और न्यायसंगत का संरक्षित विवेक" आदमी"। लॉर्ड मैक डर्मोट ने सर विलियन स्कॉट के विवरण का जिक्र करते हुए प्रेस्टन जून्स बनाम प्रेस्टन जोन्स, 1951 ए.सी. 391 पृष्ठ 417 (ई) में कहा:

"तलाक में अधिकार क्षेत्र में पार्टियों की स्थिति शामिल है और सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है कि विवाह बंधन को हल्के में या सख्त जांच के बिना रद्द नहीं किया जाएगा। क़ानून की शर्तें इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हैं, और मुझे लगता है कि यह काफी हद तक समझ से बाहर होगा अपने प्रावधानों की चिंताजनक प्रकृति के साथ, यह मानने के लिए कि न्यायालय विघटन के लिए आधार के संबंध में "संतुष्ट" हो सकता है, उचित संदेह से परे सबूत से कम कुछ के साथ। मुझे, शायद, यह जोड़ना चाहिए कि मैं अपने निष्कर्ष को आधार नहीं बनाता हूं आपराधिक कानून से ली गई किसी भी सादृश्यता पर सबूत के उचित मानक। मुझे नहीं लगता कि मोर्डौंट बनाम मोनक्रेइफ, (1874) 30 एलटी 649 (एफ) में इस सदन के फैसले के बाद से किसी भी दर पर यह कहना संभव है कि दोनों क्षेत्राधिकार अलग-अलग हैं। वास्तविक कारण। जैसा कि मुझे लगता है, दोनों उचित

संदेह से परे एक ही सामान्य मानक-प्रमाण को क्यों स्वीकार करते हैं, किसी भी सादृश्य में नहीं बल्कि उस मुद्दे की गंभीरता और सार्वजनिक महत्व में है जिसके साथ प्रत्येक का संबंध है ।"

(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त नियम का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:--

"हमारी राय में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित नियम, सिद्धांत और नियम प्रदान करेगा जो भारतीय न्यायालयों को अधिनियम द्वारा शासित मामलों पर लागू होना चाहिए और तलाक के मामलों में सबूत का मानक ऐसा होगा कि यदि न्यायाधीश इससे परे संतुष्ट है वैवाहिक अपराध करने के संबंध में उचित संदेह है कि वह अधिनियम की धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत संतुष्ट होगा।"

(13) हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, व्यभिचार के आधार पर तलाक की वैवाहिक राहत का दावा करने के लिए, अधिनियम की धारा 13(1)(i) का ध्यान रखा जा सकता है, जो इस प्रकार है: -

"13. तलाक। (1) कोई भी विवाह, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, एक याचिका पर हो सकता है पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत, तलाक की डिक्री द्वारा इस आधार पर भंग कर दिया जाएगा कि दूसरा पक्ष-

(i) विवाह संपन्न होने के बाद, अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग किया है;"

(14) अधिनियम की धारा 23(1) भी उपयुक्त है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"कार्यवाही में डिक्री.-(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में चाहे बचाव किया गया हो या नहीं, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि-

(ए) राहत देने के लिए कोई भी दौर मौजूद है और याचिकाकर्ता उन मामलों को छोड़कर जहां उसके द्वारा उप-खंड (ए), उप-खंड (बी) या उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट

आधार पर राहत मांगी गई है। धारा 5 का सीएल (ii) किसी भी तरह से ऐसी राहत के उद्देश्य के लिए अपनी गलती या विकलांगता का फायदा नहीं उठा रहा है, और

(बी) जहां याचिका का आधार निर्दिष्ट धारा 13 की उपधारा (1) (1) में है याचिकाकर्ता किसी भी तरह से उस कार्य या कृत्य में शामिल नहीं हुआ है या उसमें शामिल नहीं है या उसे माफ नहीं किया है, जिसकी शिकायत की गई है, या जिसके लिए याचिका का आधार क्रूरता है, याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से क्रूरता को माफ नहीं किया है, और

(बीबी) जब मतुआ सहमति के आधार पर तलाक मांगा जाता है, तो ऐसी सहमति बलपूर्वक धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से प्राप्त नहीं की गई है, और

(सी) याचिका (धारा 11 के तहत प्रस्तुत याचिका नहीं) प्रतिवादी की मिलीभगत से प्रस्तुत या मुकदमा नहीं चलाया गया है, और

(डी) कार्यवाही शुरू करने में कोई अनावश्यक या अनुचित देरी नहीं हुई है, और

(ई) कोई अन्य कानूनी आधार नहीं है कि राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए,

तब, और ऐसे मामले में, लेकिन अन्यथा नहीं, न्यायालय ऐसी राहत का निर्णय तदनुसार करेगा। (महत्व जोड़ें)

(15) इसलिए, अधिनियम की धारा 23(1) के संदर्भ में राहत भी दी जानी है यदि न्यायालय संतुष्ट है कि राहत देने का कोई भी आधार मौजूद है और याचिकाकर्ता किसी भी तरह से उसका लाभ नहीं उठा रहा है या ऐसी राहत के प्रयोजन के लिए उसकी अपनी गलती या विकलांगता। वैवाहिक कारण को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक पर शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी[3] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, जिसमें उनके

(3) एआईआर 1988 एस.सी. 121

आधिपत्य ने नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने[4] के मामले में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया था।), जिसमें वैवाहिक आचरण को साबित करने के लिए आवश्यक तरीके के मानक के सवाल पर विचार किया गया था जो विवाह के विघटन के आधार के रूप में क्रूरता का गठन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शोभा रानी के मामले (सुप्रा) में इसे इस प्रकार रखा गया था: -

"हालाँकि, हम दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक अपराध से चिंतित नहीं हैं। हम एक वैवाहिक आचरण से चिंतित हैं जो विवाह के विघटन के आधार के रूप में क्रूरता का गठन करता है। यदि ऐसी क्रूरता को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे लागू करना आवश्यक है सिविल मामलों की तरह संभावनाओं की प्रधानता पर साबित किया गया और आपराधिक मामलों की तरह उचित संदेह से परे नहीं। इस न्यायालय ने उचित संदेह से परे सबूत के परीक्षण को स्वीकार नहीं किया है। जैसा कि दास्ताने मामले में चंद्रचूड़, जे. ने कहा था (एआईआर 1975 एससी 1534)) (पेज 1540 पर)---

न तो अधिनियम की धारा 10 जो उन आधारों की गणना करती है जिन पर न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है और न ही धारा 23 जो अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में डिक्री पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करती है, के लिए आवश्यक है कि याचिकाकर्ता को अपने मामले को एक से परे साबित करना होगा। तर्कसम्मत संदेह। धारा 23 अदालत को डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करती है यदि वह धारा के खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित मामलों पर "संतुष्ट" है। यह ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक नागरिक प्रकृति की है, "संतुष्ट" शब्द का अर्थ "संभावनाओं की प्रबलता पर संतुष्ट" होना चाहिए न कि "उचित संदेह से परे संतुष्ट"। धारा 23 सिविल मामलों में सबूत के मानक में बदलाव नहीं करती है।" (जोर दिया गया)

(16) यह नोट करना उचित है कि वैवाहिक आचरण के संबंध में सबूत का मानक, जो वैवाहिक राहत के विघटन की वैवाहिक राहत की मांग के आधार के रूप में क्रूरता का गठन करता है, सिविल मामलों की तरह संभावनाओं की प्रबलता पर

---

(4) एआईआर 1975 एस.सी. 1534

स्थापित किया जा सकता है, न कि इससे परे। आपराधिक मामलों की तरह उचित संदेह। हालाँकि, मौजूदा मामले में जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह व्यभिचार के आधार पर वैवाहिक राहत मांगने के संबंध में है,

जहां यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता व्यभिचार में रह रहा है या दूसरे शब्दों में विवाह संपन्न होने के बाद, उसने प्रतिवादी-पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग किया है। यह ध्यान रखना उचित है कि व्यभिचार का आरोप लगाना उस मामले की तुलना में अधिक गंभीर मामला है जहां क्रूरता के आधार पर वैवाहिक राहत मांगी जाती है। इसलिए, वैवाहिक कारण में व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए सबूत का मानक निश्चित रूप से ऊंचा होगा और सबूत के सख्त उपाय की आवश्यकता होती है, हालांकि यह उचित संदेह की छाया से परे नहीं हो सकता है जैसा कि एक आपराधिक मामले में आवश्यक है लेकिन साथ ही अर्निस्ट जॉन व्हाइट (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर यह केवल संभावनाओं की प्रबलता पर भी नहीं है। व्यभिचार के आधार पर तलाक का दावा करने की कार्यवाही अर्ध आपराधिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है।

(17) इस मामले में, प्रतिवादी पति क्रम में खुद को पीडब्लू-1 के रूप में पेश करने के अलावा व्यभिचार साबित करने के लिए चंदगी राम के पुत्र मीर सिंह, पीडब्लू-2 और पन्नू राम की पत्नी रिसालो से पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई। 28 मई, 1990 को सभी तीन गवाहों की जांच की गई और उसके बाद प्रतिवादी-पति की गवाही बंद कर दी गई। अपने परीक्षण में प्रतिवादी-पति जय किशन ने याचिका में अपनाए गए रुख को दोहराया और उन्होंने यह भी कहा कि वह कथित व्यभिचारी राम करण (प्रतिवादी नंबर 2) को जानते हैं। आरोप है कि वह उसके घर आता-जाता था और उसकी पत्नी दूर के रिश्ते में उसकी चाची लगती है। बताया जाता है कि उक्त राम करन इलाहाबाद में रहता है लेकिन वह अक्सर अपने गांव आता रहता है। गांव में उनका मकान और जमीन है. बताया जाता है कि 1987 की गर्मी के मौसम में श्रीमती को संबोधित एक अंतर्देशीय पत्र आया था। राम करन से कैलाश का उनके घर पर स्वागत किया गया। वह उस दिन कोर्ट में मूल पत्र लेकर आये थे. वह आगे कहते हैं कि वह राम करण को लिखते

हुए देखते रहे हैं और लिख सकते हैं उसकी लिखावट पहचानें. पत्र को एक्ज़िबिट पीए के रूप में प्रदर्शित किया गया था इसका विरोध किया। प्रतिवादी-पति का कहना है कि मई या जून महीने में 1987 में जब वह छोटी छुट्टी पर आये थे तो उनके पिता आये थे उन्हें उपरोक्त पत्र दिया और पत्र पढ़कर उन्हें अपनी पत्नी के चरित्र के संबंध में बुरा लगा । उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसने बहुत बुरा काम किया है और उसने अपने माता-पिता से कहा कि वह उसकी पत्नी की हरकतों पर नज़र रखें क्योंकि पत्र गलत भी हो सकता है। प्रतिवादी-पति द्वारा आगे कहा गया है कि उपर्युक्त पत्र की प्राप्ति के बाद, उसने अपीलकर्ता के साथ पति-पत्नी के रूप में अपना रिश्ता नहीं रखा। छुट्टी पर गाँव आने पर उन्हें उनके गाँव के मीर सिंह पंच ने बताया कि उन्होंने एक बार झज्जर के एक पिक्चर हॉल में अपनी पत्नी को राम करण के साथ देखा था। प्रतिवादी-पति ने आगे कहा कि उसे उसकी पड़ोसी कालू की बेटी श्रीमती रिसालो ने बताया कि उसने उसकी पत्नी को गांव के जुठार के कमरे में रामकरण के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी को राम करण के साथ अवैध संबंध न रखने के लिए मनाया और इस पर उसने उसे गाली दी और उसे 'हिजड़ा' कहा। प्रतिवादी-पति का यह भी कहना है कि उसने अपने ससुराल वालों से कभी भी टीवी, स्कूटर या किसी अन्य उपहार की मांग नहीं की। मई, 1989 के महीने में, अपीलकर्ता ने अपना घर छोड़ दिया और उनकी सहमति के बिना अपने माता-पिता के घर चली गई। वह उस समय अपने साथ10,000 नकद, एक जोड़ी कान की बाली, एक टीका और एक तोला कच्चा सोना यानी दो तोला सोना भी ले गयी थी । उसने उनके जी.पी. से 10,000 रु रुपये निकाले थे। वह 1 अप्रैल, 1990 को सेना से साधारण नायक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें 400 रुपये मासिक पेंशन मिलने की संभावना थी। जो तब तक स्वीकृत नहीं हुई थी। प्रतिवादी-पति द्वारा यह भी कहा गया है कि वह अपनी बेटी को अपने साथ रखने और उसकी शिक्षा और भरण-पोषण प्रदान करने के लिए तैयार था और वह अपनी पत्नी से तलाक की डिक्री चाहता था। जिरह में, उसने कहा कि उसने अपने वकील को मीर सिंह (पीडब्लू-2) और रिसालो (पीडब्लू-3) द्वारा दी गई जानकारी के बारे में सूचित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि याचिका उनके वकील ने उन्हें पढ़कर सुनाई और फिर उन्होंने हस्ताक्षर किए। उन्होंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की थी.

(18) मीर सिंह, (पीडब्लू-2) का कहना है कि वह ग्राम पंचायत का सदस्य है।

उन्होंने अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 दलीप कुमार उपनाम राम कारन को बस अड्डा, झज्जर पे देखा था जब वह कुछ बिजली के उपकरण खरीदने गया था। इसके बाद उनके पास था दिसम्बर 1988 में पुनः झज्जर गये और पुनः उनसे मुलाकात हुई झज्जर में. वह आगे बताते हैं कि राम करन का घर पर आना-जाना था जय किशन (प्रतिवादी नंबर 1) की लेकिन उसने अपीलकर्ता को कभी नहीं देखा था राम करन के घर जा रहे हैं. वह आगे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सका अपीलकर्ता के चरित्र के बारे में बताएं? अपनी जिरह में, उनका कहना है कि जय किशन (प्रतिवादी नंबर 1) उन्हें वहां साक्षय के लिए लेकर आए थे

(19) श्रीमती. रिसालो (पीडब्लू-3) का कहना है कि वह पार्टियों को जानती थी, उसका घर और जय किशन (प्रतिवादी नंबर 1) का घर एक ही गली में थे। वह आगे बताती है कि राम करण उर्फ दलीप कुमार (प्रतिवादी नंबर 2) जय किशन (प्रतिवादी नंबर 1) के घर आता था। अपनी गवाही दर्ज करने से करीब एक साल पहले साल के दूसरे महीने में 28 मई, 1990 को उसने कैलाश देवी (अपीलकर्ता) और राम करण (प्रतिवादी नंबर 2) को अपने गांव के जुथर के घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। वो दोनों उस समय नग्न थे और संभोग क्रिया कर रहे थे. उसने इस घटना की जानकारी जय किशन के पिता फूल सिंह को दी थी. यह भी श्रीमती रिसालो (पीडब्लू-3) ने कहा है. कि लगभग तीन साल पहले, कैलाश देवी (अपीलकर्ता) को संबोधित राम करण उर्फ दलीप कुमार (प्रतिवादी नंबर 2) का पत्र फूल कुमार को मिला था। श्रीमती ने अपनी जिरह में यह कहा है। रिसालो (पीडब्लू-3) का कहना है कि जिस कमरे में उसने कैलाश देवी (अपीलकर्ता) और राम करण उर्फ दलीप कुमार (प्रतिवादी नंबर 2) को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, उसका उपयोग निवास के रूप में नहीं किया गया था और वहां मवेशियों का चारा संग्रहीत किया गया था। उस कमरे का दरवाज़ा एक गली में खुलता है और उस कमरे में कोई खिड़की और झरोखा नहीं है. आगे कहा गया है कि उस कमरे में केवल दो खाटें ही बिछाई जा सकती हैं और वह कमरा खुला रहता है। वह अपने मवेशियों के लिए चारा लेने कमरे में गयी थी. कमरे में अंधेरा था और उसने माचिस की तीली जला रखी थी। वह आगे कहती है कि जूथर उसका चचेरा भाई था और वह उनसे अलग है। तब से उनकी मृत्यु हो गई थी। वह यह भी कहती है

कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर थी और फिर कहा कि वह कुछ हद तक कमजोर थी।

(20) इस मौखिक साक्ष्य के अलावा, एक पत्र Ex.PA है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता पत्नी को लिखा गया था जिसे प्रतिवादी संख्या 1 जय किशन के बयान में Ex.PA प्रदर्शित किया गया है। पत्र Ex.PA एक अंतर्देशीय पत्र पर अपीलकर्ता को संबोधित एक पत्र है जिसमें यह मुख्य रूप से कहा गया है कि उनका दोस्ती बरकरार रहेगी और किसी को पता नहीं चलना चाहिए उक्त पत्र के लेखन और पत्र के लेखक के बारे में भूलना नहीं चाहिए और उस पत्र में लिखा जाना चाहिए किसी अन्य साथी का नाम. उक्त पत्र हिन्दी भाषा में लिखा गया है केवल पता लिखने के लिए बने स्थान पर ही नाम लिखा होता हैअपीलकर्ता के आंकड़े. पत्र की विषयवस्तु इस आशय की है कि पत्र के लेखक दलीप कुमार हैं. गौरतलब है कि उक्त पत्र को जा किशन (प्रतिवादी 1) के बयान में प्रदर्शित किया गया है लेकिन वह यह नहीं बताता कि उसे अपनी लिखावट के बारे में कैसे पता है। दूसरे शब्दों में जय किशन (प्रतिवादी नंबर 1) ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि उसने राम करण (प्रतिवादी नंबर 2) को किस हैसियत से लिखते या हस्ताक्षर करते देखा था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वैवाहिक कारण में व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए केवल संभावनाओं की प्रबलता की तुलना में थोड़े अधिक मानक के प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए, मामले के इस दृष्टिकोण में प्रतिवादी नंबर 1 पति साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर उक्त पत्र को साबित करने के भार का पूरी तरह से निर्वहन करने में विफल रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 के पति द्वारा किसी भी तरह से यह नहीं दिखाया गया कि वह प्रतिवादी नंबर 2 राम करण की लिखावट को पहचानने की स्थिति में कैसे था। इसलिए, दस्तावेज़ को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने मात्र से दस्तावेज़ साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हो जाएंगे। सैत ताराजी खीम चंद और अन्य बनाम यालामर्ती सत्यम और अन्य[5] शीर्षक मामले में, (5) यह माना गया कि केवल दस्तावेज़ को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने से उसका प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए, केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी-पति ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखे गए कथित पत्र को बताया और प्रदर्शित किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा दिए

(5) एआईआर 1971 एस.सी. 1865

गए सबूत के औपचारिक तरीके से दूर नहीं होता है। इन परिस्थितियों में, जिस पत्र को राम करन (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा लिखा गया बताया गया है, उसमें बताए गए तथ्यों का कोई सबूत नहीं है और स्थापित कानून के अनुसार उक्त पत्र का एकमात्र वैध उपयोग किया जा सकता है। यह गवाह को बदनाम करने के लिए है यदि वह गवाह बॉक्स में उपस्थित हुआ था और उसने जो लिखा था वह उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य से असंगत हो सकता है। इसलिए, उक्त पत्र Ex.PA विचाराधीन होने योग्य है।

(21) जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि मीर सिंह (पीडब्लू-2) और श्रीमती रिसालो (पीडब्लू-3) के बयानों का स्पष्ट मूल्य क्या है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मीर सिंह (पीडब्लू-2) ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 को जनवरी, 1987 और दिसंबर 1988 में झज्जर में दो मौकों पर देखा था। रिसालो (पीडब्लू-3) का कहना है कि उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। दोनों गवाहों यानी मीर सिंह (पीडब्लू-2) और रिसालो (पीडब्लू-3) के साक्ष्य प्रकृति में हैं एक आकस्मिक मुलाकात का. हालाँकि "मौका गवाह" जरूरी नहीं है हालाँकि, एक झूठा गवाह, इस पर भरोसा करना लौकिक रूप से उतावलापन है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, तीनों के बयान प्रतिवादी-पति की गवाहियाँ 28 मई, 1990 को दर्ज की गईं। याचिका 29 मई, 1989 को दायर की गई थी। समय की अवधि जब श्रीमती रिसालो (पीडब्लू-3) का कहना है कि उन्होंने दोनों को समझौता करते हुए देखा था पोजीशन और सेक्सुअल इंटर कोर्स की बात करीब एक साल पहले की है साल का दूसरा महीना, जिसका मतलब फरवरी 1989 होगा। याचिका दिनांक 29 मई, 1989 की है और 30 मई, 1989 को निचली अदालत में स्थापित की गई थी। याचिका में प्रतिवादी नंबर 1 जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता था। इसमें कहा गया है कि गांव की एक महिला और एक अन्य निवासी ने पुष्टि की कि उसकी पत्नी 1987, 1988 और 1989 के दौरान कई बार गुप्त रूप से गांव में प्रतिवादी नंबर 2 के घर जाती थी, जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें घर से बाहर निकलते देखा था। राम करण (प्रतिवादी नंबर 2) का। याचिका में, प्रतिवादी-पति ने उस महिला और गांव के अन्य निवासी का नाम नहीं लिया है जिन्होंने कथित तौर पर यह देखा था। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया

कि श्रीमती. रिसालो (पीडब्लू-3) वह महिला थी जिसने उन्हें देखा था और वास्तव में उन्हें संभोग करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। यह बेहद असंभव है कि श्रीमती. रिसालो (पीडब्लू-3) संभवतः अपने चचेरे भाई के घर में एक अंधेरे कमरे में चली जाएगी और अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 को संभोग करते हुए देखेगी। इसलिए, वह अन्यथा केवल एक आकस्मिक गवाह है और पहले ही देख चुकी है कि एक आकस्मिक गवाह पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14 और 21 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदू विवाह (पंजाब) नियम 1956 तैयार किया है। नियम 6 इस प्रकार है: -

"6. व्यभिचार के पूरे कृत्यों की जानकारी दी जाएगी, - तलाक के लिए किसी भी याचिका में याचिकाकर्ता को प्रतिवादी या उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कथित व्यभिचार के कृत्यों, जैसा भी मामला हो, का यथासंभव विवरण देना होगा। ।"

(22) इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से अपनी याचिका में उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने में विफलता, जो याचिका दायर करने के समय उसे जानते थे, यह दर्शाता है कि इन गवाहों से सभी संभावित रूप से पूछताछ की गई है। तलाक से राहत पाने के लिए बाद के चरण में गवाही देना। इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि मीर सिंह (पीडब्लू-2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपीलकर्ता कैलाश देवी को कभी भी राम करण के घर आते नहीं देखा था, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी याचिका में कहा है कि एक महिला और एक अन्य व्यक्ति ने पुष्टि की थी कि उसकी पत्नी गुप्त रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के घर जाती थी। इसलिए, गवाह मीर सिंह (पीडब्लू-2) याचिका में दिए गए कथनों के विपरीत गवाही दे रहा है । इसके अलावा; उत्तरदाता नंबर 1 ने अपने साक्ष्य में पीडब्लू-1 के रूप में उपस्थित होते हुए कहा कि उसके पास था जानकारी के बारे में याचिका दायर करने से पहले अपने वकील को सूचित किया मीर सिंह (पीडब्लू-2) और श्रीमती द्वारा उसे दिया गया। रिसालो (पीडब्लू-3). उन्होंने यह भी कहा कि याचिका उनके द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाई गई थी परामर्श दिया और तदनुसार उन्होंने हस्ताक्षर किये। उनका यह भी कहना है कि ये बातें याचिका में नहीं लिखी गई हैं. दलीलों का यह सुस्थापित नियम है कि पक्षकार द्वारा अपने मामले के समर्थन में सभी आवश्यक और भौतिक तथ्य प्रस्तुत किये जाने चाहिए। दलीलों के अभाव में, पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी पक्ष

को अपनी दलीलों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, निष्पक्ष सुनवाई के लिए पक्षों को ऐसी सामग्री लानी चाहिए ताकि दूसरा पक्ष आश्चर्यचकित न हो। इसलिए, विशिष्ट दलीलों के अभाव में, पीडब्ल्यू मीर सिंह और श्रीमती के साक्ष्य। रिसालो जो प्रतिवादी नंबर 1 की जानकारी में थे, यहां तक कि अदालत में उनके स्वयं के बयान के अनुसार, गवाही पर भरोसा करना मुश्किल है।

(23) मंजीत कौर बनाम संतोख सिंह[(6)] में, ट्रायल कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका पर इस आधार पर फैसला सुनाया था कि वह व्यभिचार में जी रही थी। इस न्यायालय ने माना कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है कि विवाह बंधन को हल्के में या सख्त जांच और सबूत के बिना रद्द नहीं किया जाना चाहिए और व्यभिचार का कार्य अपनी प्रकृति में एक बहुत ही गुप्त कार्य है और सभी मामलों में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह माना गया कि वास्तविक व्यभिचार का प्रमाण आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो व्यभिचार का अनुमान लगाता है वह पर्याप्त था और प्रमाण की डिग्री को निश्चितता तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें उच्च स्तर की संभावना होनी चाहिए। यह माना गया कि यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में साक्ष्य की सराहना सावधानीपूर्वक और उचित होनी चाहिए और केवल जब साक्ष्य ठोस, सुसंगत और विश्वसनीय हो, तो व्यभिचार का निष्कर्ष दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जहां साक्ष्य में पुष्टि की कमी और असंगत और अप्राकृतिक है, वहां नहीं।

(24) मौजूदा मामले में, यह पहले ही देखा जा चुका है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य दलीलों के विपरीत है और काफी अप्राकृतिक है। इन परिस्थितियों में, मेरे विचार में प्रतिवादी नंबर 1 अपने मामले को पर्याप्त, ठोस, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित करने में विफल रहा है कि उसकी पत्नी ने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए थे। इन परिस्थितियों में, उचित संदेह से परे एक संतुष्टि जैसा कि अर्निस्ट जॉन व्हाइट के मामले (सुप्रा) में आयोजित किया गया था, को वैवाहिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है।

---

(6) 1997 (1) एस.एल.आर. 66

(25) प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि कैसे उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है. वैवाहिक राहत का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(1)(1-ए) के तहत, यह देखा जाना चाहिए कि क्या अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। क्रूरता अधिनियम के तहत मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकता है। वैवाहिक राहत का दावा करने के लिए आवश्यक क्रूरता की डिग्री को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह मामले-दर-मामले पर निर्भर करता है और विधायिका ने अभिव्यक्ति की एक व्यापक परिभाषा देने से भी परहेज किया है जो सभी मामलों को कवर कर सकती है। क्रूरता के आधार पर तलाक का दावा करने के लिए, यह दिखाया जा सकता है कि दूसरे पति या पत्नी ने शिकायत करने वाले पति या पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है जो शारीरिक या मानसिक हो सकती है। परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता[7] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यही कहा गया है। इसके अलावा मानसिक क्रूरता पति-पत्नी में से किसी एक की मन की स्थिति और भावना है जो दूसरे के व्यवहार या व्यवहार पैटर्न के कारण होती है। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला निष्कर्ष है और उचित दृष्टिकोण के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों से स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों के संचयी प्रभाव के आकलन की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर शारीरिक क्रूरता में ऐसे कार्य शामिल हैं जो विवाह के किसी एक पक्ष के शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं और इसमें शारीरिक चोट पहुंचाना या ऐसी चोटों का कारण देना शामिल है। इस संबंध में सवित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे [8](8) का संदर्भ लिया जा सकता है। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी के साथ इतनी क्रूरता की गई है कि अपील के तहत फैसले और डिक्री को बरकरार रखा जा सके।

(26) उपरोक्त परीक्षण को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 का इस आधार पर तलाक देने का मामला कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया था, स्थापित नहीं किया जा रहा है।

---

(7) (2002) 5 एस.सी.सी. 706

(8) (2002) 2 एस.सी.सी. 73

यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी नंबर 1 के साथ किसी भी स्तर की क्रूरता की गई है, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कोई खतरा हो सकता है।

(27) इसलिए, मामले की परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि पत्नी ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ स्वैच्छिक संभोग किया है। परिणामस्वरूप मेरे विचार में वैवाहिक न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की याचिका पर फैसला सुनाने में गलती की है। ऐसे में अपील स्वीकार कर ली जाती है और आक्षेपित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और तलाक देने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 की याचिका खारिज कर दी जाती है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी